के0एस0डी0सी0 कुमॉई रा0इ0का0 जोगथ

उत्तरकाशी

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.90 हैक्टेअर वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने

हेतु प्रस्ताव

(Main Copy)

विषय सूची

क0सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या
1	प्रतिवेदन	1
2	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति	2
3	भारत सरकार के प्रपत्र	3 से 9
4	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	10
5	प्रभावित वन भूमि का लैण्ड शैड्यूल	11
6	प्रभावित वृक्षों की सूची एवं वृक्षों की मूल्य सूची	12, 12A
7	वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र	12B
8	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	13
9	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र	14, 14A, 14B
10	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का मानचित्र एवं योजना	आवश्यकता नही
11	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र	आवश्यकता नही
12	परियोजना का बार चार्ट	15
13	रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र	15A
14	प्रस्तावित परियोजना से वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र	16
15	प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	17
16	ग्राम सभा का प्रमाण–पत्र	18, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E
17	परियोजना की लम्बाई चौड़ाई प्रमाण–पत्र	19
18	वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र	20
19	परियोजना का कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र	21
20	भू वैज्ञानिक की आख्या	22
21	भू वैज्ञानिक/जिला टास्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र	23
22	टास्क फोर्स की संस्तुतियों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र	24
23	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र	25
24	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र	26
25	धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र	27
26	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	28
27	दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	आवश्यकता नही
28	पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र	29
29	वन भूमि के मूल्य का प्रमाण–पत्र	आवश्यकता नही
30	एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र	30
31	लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण–पत्र	आवश्यकता नही
32	प्रस्तावित स्थल, स्थल विशिष्ट होने अथवा न होने का प्रमाण–पत्र	31
33	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना	32, 32A
34	मानक शर्ते मान्य होने का प्रमाण–पत्र	33,34
35	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्राकलन एवं देय धनराशि का प्रमाण–पत्र	35
36	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र	आवश्यकता नही
37	जल विद्युत परियोजना हेतु कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान	आवश्यकता नही
38	प्रस्तावित परियोजना का लेआउट प्लान एवं मदवार विवरण	36
40	पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे मार्ग निर्माण किये जाने का प्रमाण–पत्र	आवश्यकता नही
39	परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें– तहसीलदार चिन्यालीसौड़ की संस्तुति	37/1
40	राजस्व निरीक्षक की जाँच आख्या एवं नक्शा	37/2
41	इको क्लास 5 का प्रमाण पत्र	37/3
42	किसी व्यक्ति विशेष का आवासीय भवन नहीं बनाये जाने का प्रमाण पत्र	37/4

प्रतिवेदन

के0एस0डी0सी0 कुमाई रा0इ0का0 जोगथ, उत्तरकाशी जिला अन्तर्गत भागीरथी के बांये क्षेत्र मे स्थित
विकासखण्ड मुख्यालय चिन्यालीसौड से 34 कि0मी0 तथा जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 80
कि0मी0 की दूरी पर जनपद का सीमान्त विद्यालय है। जनपद उत्तरकाशी और टिहरी गढवाल की
सीमा पर स्थित यह क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछडा हुआ है। विषम भौगोलिक एवं सामाजिक
परिस्थितियो के बावजूद भी यह संस्था क्षेत्र मे शिक्षा के विकास एवं प्रसार के लिए प्रयत्नशील है।

यह विद्यालय सन 1965 मे जूनियर हाईस्कूल के रुप मे स्थापित हुआ था और
समयानुसार 1982 मे हाईस्कूल एवं 1988 मे इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत हुआ है। इस विद्यालय
मे विगत वर्षो मे 800 तक संख्यागत छात्र/छात्रायें अध्ययनरत रहें है। वर्तमान मे विद्यालय मे 415
छात्र/छात्रायें अध्ययनरत है और 29 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्य कर रहें है।

विद्यालय भवन निर्माण हेतु कोई वैकल्पिक भूमि न होने के कारण यह विद्यालय अपनी
स्थापना के लगभग 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी भवन विहीन है। इस विद्यालय मे जनपद टिहरी
और जनपद उत्तरकाशी के 19 ग्राम सभाओं के छात्र/छात्रायें शिक्षा ग्रहण करने आते है। भवन न
होने के कारण आज भी विद्यालय का संचालन 1965 मे निर्मित जूनियर हाईस्कूल के भवन मे किया
जा रहा है जो कि जर्जर स्थिति मे पहुँच चुका है और किसी भी अनहोनी की सम्भावना बनी रहती
है।

विद्यालय की अपनी भूमि और भवन न होने के कारण छात्र/छात्राओं हेतु शौचालय एवं
अन्य भौतिक संसाधनों का अभाव है जिससे छात्र/छात्राओं को शौच आदि हेतु खुले मे जाना पडता
है जो कि वर्तमान समय मे अशोभनीय स्थिति है।

भवन विहीन होने के कारण विद्यालय का पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है
जिससे क्षेत्र के नौनिहालों को विकासखण्ड के दूरस्थ विद्यालयों मे शिक्षा ग्रहण करने हेतु पलायन
करना पड रहा है। प्रस्तावित वनभूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरित होने से विद्यालय के भवन
एवं खेल मैदान का निर्माण हो सकेगा जिससे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने मे
कठिनाई नहीं होगी और विद्यालय का मूलमंत्र- " शिक्षार्थ आइये सेवार्थ जाइये " का पालन सार्थक
हो सकेगा। [illegible] शिक्षा के प्रति [illegible] प्रयास एवं [illegible] मे भूमि का स्थानान्तरण वांछित है।

Principal
K.S.D.C KUMAI
GJC Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पत्रांक/ 64 /जिला योजना बजट/2013-14/ दिनांक 29 अगस्त 2013।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्याः 847/XXIV-3 /13/02(26)11 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 29 मई, 2013 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में जनपद उत्तरकाशी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित मदों में रू0 35.00 लाख (पैन्तीस लाख रूपये) की धनराशि स्वीकृत हुई है, उक्त स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	मद का नाम	शासन के द्वारा स्वीकृत धनराशि	जिला स्तर से स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण, विस्तार,विद्युतीकरण एवं भूमि भवन क्रय तथा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण।	29.00	29.00
2	जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय व आवासीय भवनों का निर्माण	6.00	6.00
	योग	35.00	35.00

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/XXVII (1) /2013 दिनांक 30.03.2013 में धनराशि आहरण /व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यावाही सुनिश्चित की जाय।

2. जिला योजनान्तर्गत उन योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृतियां पूर्णतः प्रतिबंधित है जिनमें तत्काल अथवा भविष्य में पद सृजन निहित है, साथ ही जिला योजनान्तर्गत ऐसी योजनाओं/कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी नहीं की जायेगी, जिसमें निहित वेतन आदि अथवा अन्य आवर्तक व्यय सम्मिलित हो।

3. निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की समय सारिणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके साथ ही वित्त विभाग के आदेश संख्या 475/ XXVII (1)2008 , दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेन्सी से एम0ओ0यू0 अवश्य किया जाय।

4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5. निर्माण कार्यो पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अनुमोदित आगणन में इंगित कार्य एवं मात्रा से अधिक कार्य किया जाए। ऐसे निर्माण कार्य जहॉं अपरिहार्य कारणों से अनुमोदित आंगणन व लागत के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है उन मामलों में आंगणन पुनरीक्षण की प्रत्याशा में अधिक कार्य न कराया जाया।

6. निर्माण की गुणवत्ता के लिए सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अभियन्ता उत्तरदायी होंगे। गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु यथा आवश्यक थर्ड पार्टी जॉंच भी करायी जाय।

क्र0सं0......2 पर

7. प्रयोगशाला/अतिरिक्त कक्षा–कक्ष,कॉमनरूम एवं पेयजल तथा शौचालय हेतु धनराशि जनपद स्तर पर निर्धारित आगणन के आधार पर किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत किये जा रहे कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा उनकी कोई देयता आगामी वित्तीय वर्ष के लिये शेष नहीं रखी जायेगी।

8. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय। कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजन रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

9. कार्य करने से पूर्व उच्चधिकारियों एवं भूगर्भवेता से कार्य स्थल का भली–भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाए।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या **2047/XIV-219** (2006) /2013 दिनांक 30. मई.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

12. निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाए।

13. आहरण वितरण कोड 8012 के अन्तर्गत आंवटित बजट एवं आईडी0 कोड को परिवर्तित कर आहरण विरतण का अधिकारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को प्रदत किया जाता है।

14. धनराशि का आहरण वितरण कोड संख्या 4504 वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में आय–व्ययक में अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय,01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा,00,आयोजनागत,91– जिला योजना, 24– वृहद निर्माण के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(डॉ0पंकज कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

पृ0सं0/ / /जिला योजना बजट/2013–14/ दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– सचिव,शिक्षा उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– सचिव,नियोजन एवं वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, उत्ताराखण्ड देहरादून।
5– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
6– निदेशक, अर्थ एवं संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
7– उप निदेशक, अर्थ एव संख्या गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8– अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
9– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी।
10–वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
11–वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरकाशी।
12–अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तरकाशी।
13–गार्ड फाइल।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण
ख) 1.50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	लगभग 1.50 करोड
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु जिसके बाद क्षेत्र के 19 ग्राम सभाओं के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगें।
ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	उक्त वन भूमि 5 हेक्टे0 से कम है अतः लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नही है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	1000 मानव दिवस
2 कुल अपेक्षित भूमि का उददेश्यवार विवरण:	0.90 हेक्टे0 वन भूमि के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु अपेक्षित है।
3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है	नही है।
क) परिवारों की संख्या	नही है।
ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य
ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नहीं) — हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये) — संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा। — संलग्न है

दिनांक 30.5.15

स्थान उत्तरकाशी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम

मोहर मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

प्रस्ताव की कम संख्या........................

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या....................

7. परियोजना / स्कीम का स्थान — रा० इ० का० जोगथ उत्तरकाशी

i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
ii)	जिला	उत्तरकाशी
iii)	वन प्रभाग	उत्तरकाशी वन प्रभाग
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	0.90 हेक्टेअर
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि
vi)	हरियाली का घनत्व	0.6
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	वृक्षों की सूचि संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	नही है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन क्षेत्र के अन्दर है।
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए)	नही है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां / तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही है।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नही है।

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। — संलग्न है।

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नहीं) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। — नहीं

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:–

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संलग्न है।
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढ़ाचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न है।

12– प्रभाग / जिला प्रोफाइल — वन विभाग / शिक्षा विभाग

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	801600 हेक्टेअर
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	695783.35 हेक्टेअर
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	347 मामले तथा 1201.63376 हेक्टेअर
iv.	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	रिक्त
(ख)	वनेत्तर भूमि पर अब. तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	487.50 हेक्टैअर
(क)	वन भूमि पर	रिक्त
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	487.50 हेक्टेअर

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे । अतः संस्तुति प्रदान की जाती हैं।

दिनांक 31-3-2015

स्थान उत्तरकाशी

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

भाग– III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

हस्ताक्षर

तिथि.................. नाम और पदनाम

स्थान.................. सरकारी मोहर

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षर:

तिथि : नाम और पदनाम

स्थान : सरकारी मोहर

भाग–V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिश:
(उपर्युक्त भाग–II या भाग–III या भाग–IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर:

तिथि : नाम और पदनाम

स्थान : सरकारी मोहर

परियोजना का नाम:–

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण पत्र)

प्रस्तावित कार्य का नाम:– जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत **के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई रा0 इ0 कालेज जोगथ** के भवन निर्माण हेतु 0.90 हैक्टर वन भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तानान्तरण

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12.01.2015...को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री खुशहाल सिह रावत वन दरोगा. एंव श्री सूर सिह रावत वन रक्षक पोखरीसौड बीट .राजस्व विभाग की ओर से श्री जगमोहन सिह रावत राजस्व उप निरिक्षक .....जोगथ प्रस्तावक विभाग की ओर से...श्री मनवीर सिह रावत प्रधानाचार्य रा0 इ0 कालेज जोगथ द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि...0.90 हैक्टर, सिविल एंव सोयम भूमि ...शून्य हैक्टर वन पंचायत भूमि...शून्य.....हैक्टर एंव नाप भूमि...शून्य हैक्टर प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व.....0.6.... है तथा इकोक्लास .....5.....है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) प्रभावित वृक्षों की सूची संलग्न है।

(मनवीर सिंह रावत)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
के0 एस0 डी0 सी0 कुमाई
रा0 इ0 कालेज जोगथ
उत्तरकाशी

(जगमोहन सिह रावत)
राजस्व उप निरिक्षक
जोगथ

(सूर सिह रावत)
वन रक्षक
पोखरी सौड बीट

(खुशहाल सिह रावत)
वन दरोगा धरासू

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

तहसीलदार
चिन्यालीसौड़

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रति हस्ताक्षरित

S.D.M.

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम.. के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

लैन्ड शेड्यूल
(वन विभाग)

जिला	प्रभाग का नाम	वन ब्लाक	लम्बाई	चौडाई	क्षेत्रफल (हे0)
उत्तरकाशी	उत्तरकाशी वन प्रभाग	दिचली कक्ष सं0 3	180 मीटर	50 मीटर	0.90
				9000 वर्गमीटर	0.90 हे0

व0 वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

लैन्ड शेड्यूल

सिविल एवं सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि का लैन्ड शेड्यूल के लिये (राजस्व विभाग)/
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र

जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकबा	याचित क्षेत्रफल (हे0)
......	......	दिचली	......	......	......

ह0/–
जिलाधिकारी

S.D.M.

रा0 कानि0 जोगथ

तहसीलदार
चिन्यालीसौड़

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

उप जिलाधिकारी
चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई रा0 इ0 कालेज जोगथ को हस्तानान्तरित वन भूमि में आने वाले वृक्षों की गणना सूची

दिचली कक्ष सं0-3

क्र0 सं0	प्रजाति	बॉटनिकल नाम	व्यास	संख्या	दर	धनराशी
1	चीड़ हरा	पाईनस रौक्सबर्घाई	20-30	1	325	325
2	देवदार हरा	सीड्रस देवदारा	20-30	1	615	615
	योग =			2	—	940=00

(मनवीर सिंह रावत)
प्रधानाचार्य
के0 डी0 सी0 कुमाई इ0 कालेज
जोगथ

(सूर सिंह राणा)
वन रक्षक
पोखरीसौड़ बीट

(खुशहाल सिंह रावत)
वन दरोगा धरासू

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग

Seen
9-7

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

SITE INSPACTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from ...SIKSHA BIBHAG............. UTTARKASHI............ for diversion under FCA-1980) of 0.90 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of Ko. So. D. C. K. G. I. G. Jo Lonptah .... The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on date 12-1-2015

The location of the site [illegible] proposed by the user agency [illegible] RF/PF/un-classed/Protect forest measuring ..0.90.....ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project. yes

Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.- No

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area. if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.-

✓ a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conversation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

✗ b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1. Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. The Proposal recommended subject fulfillment of condition like provision of compensatory afforestation n P.V. boundary pillars demarcation silt develop plot for muck disposal and strictly adherence to F.C.A-1980

(Signature)

Place:- Kot Bangla Uttarkashi.

Date... 12-1-2015

Name Divisional Forest Officer
Designation Uttarkashi Forest Division
Office Seal UTTARKASHI

N.B. x state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.
xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

कार्यालय उप वन संरक्षक, ...

संख्या– / दिनांक: , 200.

वृक्षों के पातन का प्रमाण–पत्र

जनपद–उत्तरकाशी.... के निर्माण हेतु 0.90......है0 वन भूमि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पातन होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :–

क्र0 सं0	ब्लाक	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	
1	दिचली 3	चीड़ हरा	–	√	–	–	–	–	–	–	–	01
2	दिचली 3	देवदार हरा	–	√	–	–	–	–	–	–	–	01
	योग											02

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप प्रभागीय [illegible]
ह0/–
उत्तरकाशी वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग

परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की मूल्य सूची

1–संलग्न है।

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:- के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमाण--पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.90 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नही है।
प्रस्तावित स्थल से राष्ट्रीय पार्क की दूरी 172 कि0मी0 है।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

रा0उ0नि0 अभि0

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

S.D.M.

उप जिलाधिकारी

D.M.

तहसीलदार
चिन्यालीसौड़

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

राजकीय इण्टर कालेज जोगथ के भवन निर्माण हेतु वन भूमि का मानचित्र उत्तरकाशी वन प्रभाग – पैमाना – 1:50,000

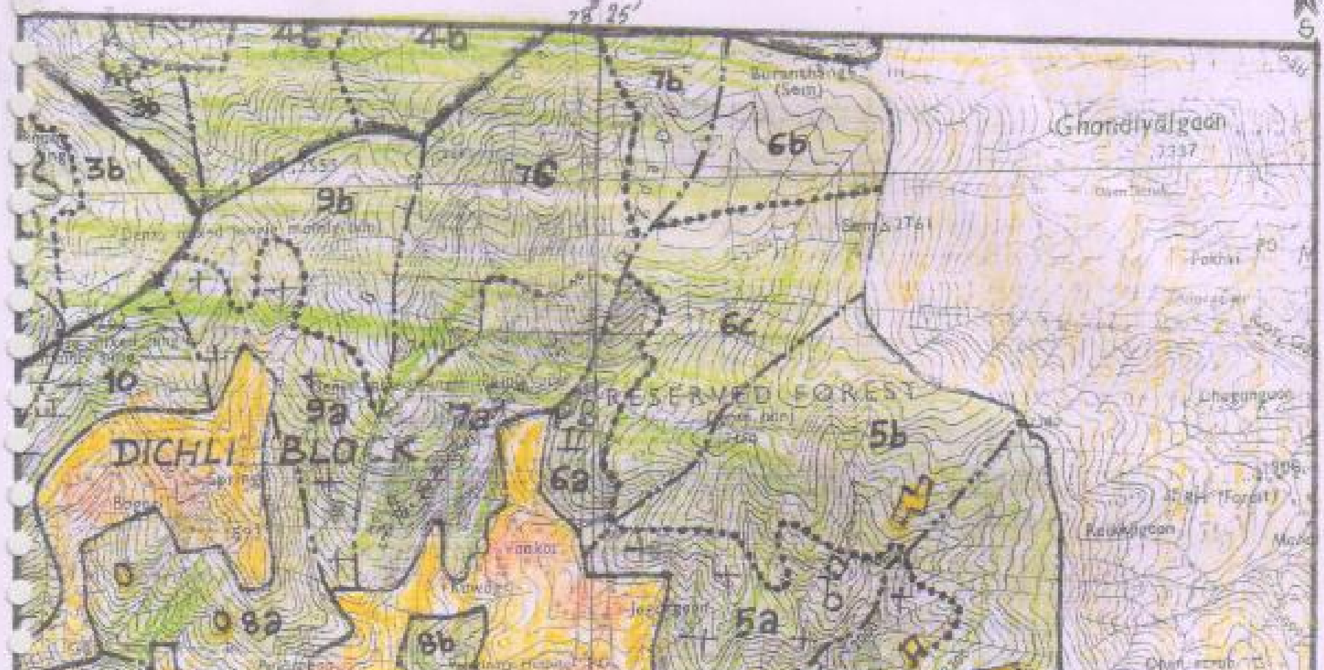

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

संकेत

1- आरक्षित वन भूमि
2- सिविल सोयम भूमि
3- नाप भूमि
4- प्रस्तावित निर्माण स्थल

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी
04,02,2015

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग

Divisional Forest Officer
Uttarkashi Forest Division
UTTARKASHI

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath

Draughts Man
Uttarkashi Forest Division

डिजिटल मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के0एस0डी0सी0 कुमाई, रा0इ0का0 जोगथ के निर्माण हेतु

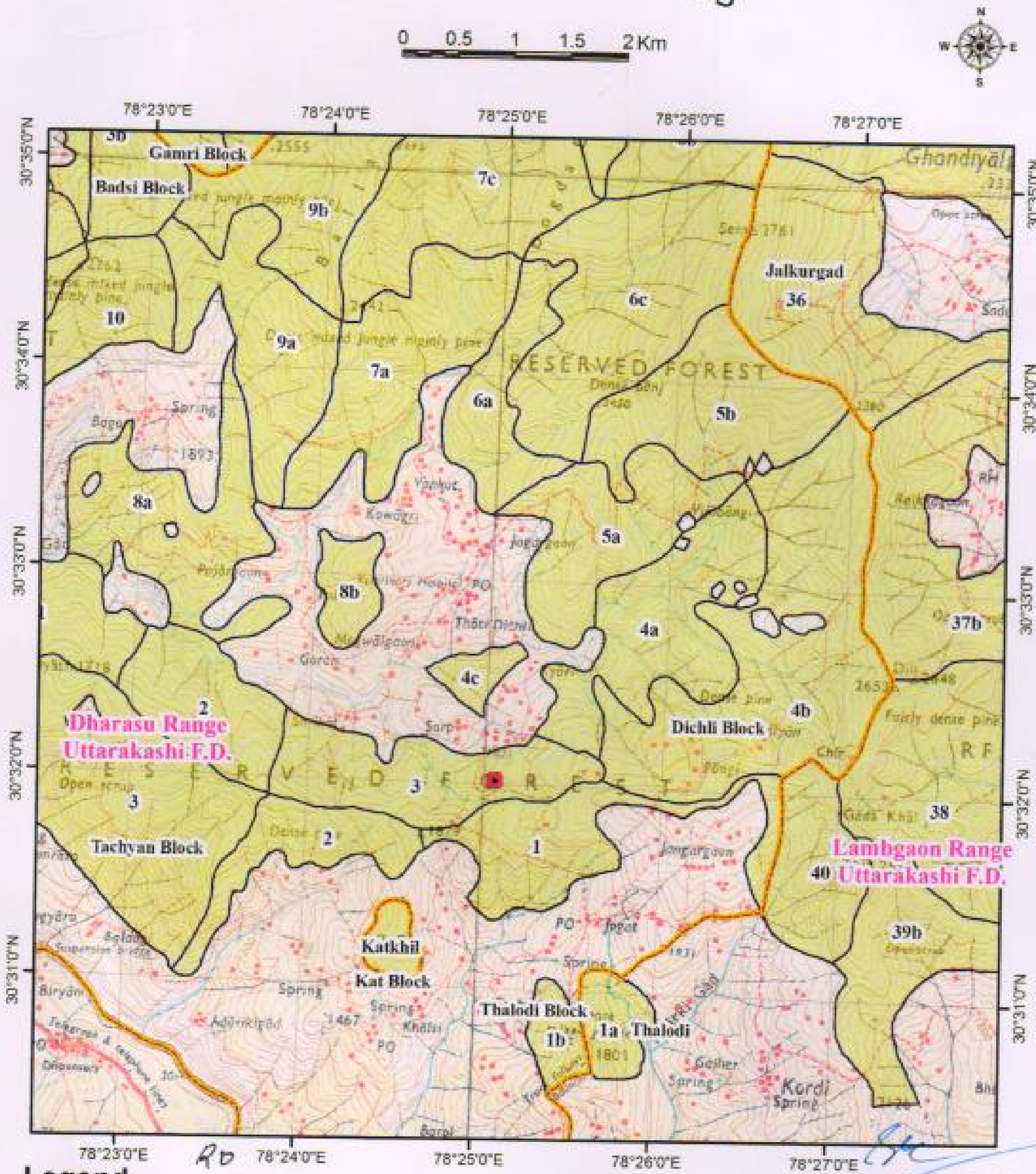

Legend

- Proposed Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

(उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

14A

डिजिटल मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत के0एस0डी0सी0 कुमाई , रा0इ0का0 जोगथ के निर्माण हेतु

Legend

Proposed Land

G.IC Jogath

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

Draughts Man
Uttarkashi Forest Division

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम– के0एस0डी0सी0 कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

वार चार्ट

180 मी0

50 मी0

कुल क्षेत्रफल 9000 वर्ग मी0 = 0.90 हैक्टेयर

संकेत

आरक्षित वन भूमि	
सिविल वन भूमि	
नाप भूमि	

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- हे0 एस0 डी0 सी0 कुमाई रा0 इ0 का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण

रिक्त पडे स्थल पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु प्रति है0 व्यय पर निर्धारित धनराशि का प्राक्कलन

प्रस्तावित पौध प्रति है0– 500 पौध।

क्र0सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वेक्षण	1.00	है0	78.10	प्र0है0	78.10
2	झाड़ी कटान	1.00	है0	2626.80	प्र0है0	2626.80
3	चैक लॉट का सृजन	1.00	है0	15588.00	प्र0है0	15588.00
4	पौध की कीमत	500	पौध	5.06	पौध	2530.00
5	पौध ढुलान	500	पौध	3.63	पौध	1815.00
6	गढ्ढे खुदान	500	सं0	5.50	सं0	2750.00
7	गढ्ढे भरान	500	सं0	0.99	सं0	495.00
8	पौध रोपण	500	पौध	1.98	प्र0पौध	990.00
9	रासायनिक खाद व कीट नाशक	500	पौध	0.66	प्र0पौध	330.00
10	निराई–गुडाई (दो बार)	500	पौध	2.64	प्र0पौध	1320.00
11	दीवालबन्दी	1.00	है0	15588.00	प्र0है0	15588.00
12	रोपण वर्ष में रखरखाव	1.00	है0	3353.90	प्र0है0	3353.90
13	अग्नि सुरक्षा कार्य :–					
	(क) रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	1.00	है0	284.90	प्र0है0	284.90
	(ख) सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	1.00	है0	284.00	प्र0है0	284.00
	(ग) वृक्षारोपण से लाभान्वित ग्रामीणों की जागरूकता हेतु					
	1. प्रशिक्षण	1.00	है0	401.50	प्र0है0	401.50
	2. प्रोत्साहन	1.00	है0	207.90	प्र0है0	207.90
14	अन्य व्यय :–					
	1. निरीक्षण बटिया	1.00	है0	655.60	प्र0है0	655.60
	2. बोरी सुतली औजार आदि	1.00	है0	841.50	प्र0है0	841.50
	योग– प्रथम+द्वितीय चरण) :–					50140.20
15	तृतीय चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद द्वितीय वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
16	चतुर्थ चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
17	पंचम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
18	षष्ठम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद पंचम् वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
19	सप्तम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद षष्ठम् वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00

D:\Jay semwal\Drafts Man\Compensatory Afforestation EstimateSheet1 (3)

					योग :–	6544.00
20	अष्ठम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद सप्तम् वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
21	नवम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद अष्ठम् वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
22	दशम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद नवम वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5330.00	प्र0है0	5330.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1214.00	प्र0है0	1214.00
					योग :–	6544.00
					कुलयोग :–	102492.20

प्रस्तावित योजना के लिए वृक्षारोपण हेतु निर्धारित की गई धनराशि का आगणन लक्ष्य 1.00 है0 दर 102492/- प्रति0 है0 धनराशि 102492=00

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

मुख्य विकास अधिकारी
उत्तरकाशी

CHECKED

Draughts Man,
Uttarkashi Forest Division

परियोजना का नामः– के०एस०डी०सी०कुमांई रा०इ०का० जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से वृक्ष प्रभावित हो रहे है। उनकी सूचि संलग्न की गयी है।

RO वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः— के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

रा० इ०का० जोगाथ के भवन निर्माण हेतु 0.70 है० वन भूमि का हस्तान्तरण

10 गुनी वृक्षारोपण हेतु निर्धारित धनराशि का प्राक्कलन।

प्रस्तावित पौध प्रति है०— 2000 पौध।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वेक्षण	1.00	है०	78.65	प्र०है०	78.65
2	झाड़ी कटान	1.00	है०	2628.00	प्र०है०	2628.00
3	चैक लॉट का सृजन	1.00	है०	15588.00	प्र०है०	15588.00
4	पौध की कीमत	2000	पौध	5.06	पौध	10120.00
5	पौध ढुलान	2000	पौध	3.63	पौध	7260.00
6	गड्ढे खुदान	2000	सं०	5.50	सं०	11000.00
7	गड्ढे भरान	2000	सं०	0.99	सं०	1980.00
8	पौध रोपण	2000	पौध	1.98	प्र०पौध	3960.00
9	रासायनिक खाद व कीट नाशक	2000	पौध	0.66	प्र०पौध	1320.00
10	निराई—गुडाई (दो बार)	2000	पौध	2.64	प्र०पौध	5280.00
11	दीवालबन्दी	1.00	है०	15588.00	प्र०है०	15588.00
12	रोपण वर्ष में रखरखाव	1.00	है०	3353.90	प्र०है०	3353.90
13	अग्नि सुरक्षा कार्य :—					
	(क) रोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे ज्वलनशील पदार्थ को हटाना	1.00	है०	284.90	प्र०है०	284.90
	(ख) सुरक्षा घेरवाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1.00	है०	284.90	प्र०है०	284.90
	(ग) वृक्षारोपण से लाभान्वित ग्रामीणों की जागरूकता हेतु					
	1. प्रशिक्षण	1.00	है०	401.50	प्र०है०	401.50
	2. प्रोत्साहन	1.00	है०	217.80	प्र०है०	217.80
14	अन्य व्यय :—					
	1. निरीक्षण बटिया	1.00	है०	655.60	प्र०है०	655.60
	2. बोरी सुतली औजार आदि	1.00	है०	841.50	प्र०है०	841.50
	योग— प्रथम+द्वितीय चरण) :—					80842.75
15	तृतीय चरण :—					
	1. रोपण वर्ष के बाद द्वितीय चरण वर्ष का रखरखाव	1.00	है०	5130.00	प्र०है०	5130.00
	2. क्रम सं० 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है०	1014.00	प्र०है०	1014.00
					योग :—	6144.00
16	चतुर्थ चरण :—					
	1. रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव	1.00	है०	5130.00	प्र०है०	5130.00
	2. क्रम सं० 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है०	1014.00	प्र०है०	1014.00
					योग :—	6144.00
17	पंचम चरण :—					
	1. रोपण वर्ष के बाद चतुर्थ वर्ष का रखरखाव	1.00	है०	5130.00	प्र०है०	5130.00
	2. क्रम सं० 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है०	1014.00	प्र०है०	1014.00
					योग :—	6144.00
18	षष्ठम चरण :—					
	1. रोपण वर्ष के बाद पंचम वर्ष का रखरखाव	1.00	है०	5130.00	प्र०है०	5130.00
	2. क्रम सं० 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है०	1014.00	प्र०है०	1014.00
					योग :—	6144.00

	[illegible]	1.00	है0	5130.00	प्र0है0	5130.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1014.00	प्र0है0	1014.00
					योग :–	6144.00
20	अष्टम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद सप्तम् वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5130.00	प्र0है0	5130.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1014.00	प्र0है0	1014.00
					योग :–	6144.00
21	नवम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद अष्टम वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5130.00	प्र0है0	5130.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1014.00	प्र0है0	1014.00
					योग :–	6144.00
22	दशम चरण :–					
	1. रोपण वर्ष के बाद नवम् वर्ष का रखरखाव	1.00	है0	5130.00	प्र0है0	5130.00
	2. क्रम सं0 13 के अनुसार अग्नि सुरक्षा कार्य	1.00	है0	1014.00	प्र0है0	1014.00
					योग :–	6144.00
					कुलयोग :–	129994.75
					या	1,30,000
						प्रति है0 दर

परियोजना हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या 2 × 10= 20 वृक्ष

10 गुनी वृक्षों की सं0– 20 ×130000 / 2000 = 1300=00

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

CHECKED

Draughts Man
Uttarkashi Forest Division

मुख्य विकास अधिकारी
उत्तरकाशी

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Uttarkashi(U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Indudhar Baurai I.A.S.District Magistrate Uttarkashi on date 18.05.15 at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 0.90 hect for the Education Department... of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chinyalisaur sub **division** were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi
Dated:..............

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committe
Uttarkashi

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

प्रस्ताव/अन्नापति प्रमाण पत्र

दिनांक 19-11-2014 को के0एस0डी0सी0 कुमाई रा0इ0का0 जोगथ मे शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री आलम सिंह रावत की अध्यक्षता मे क्षेत्र के समस्त सम्मानित जन प्रतिनिधियों (जिला पंचायत सदस्य,क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान) की आवश्यक बैठक आहूत की गयी जिसमे के0एस0डी0सी0 कुमाई रा0इ0का0 जोगथ के मुख्य भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टेअर वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण करने पर गहनता से विचार विमर्श किया गया बैठक मे सर्व सम्मति से इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि उक्त भूमि पर विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाना चाहिए इस कार्य से हमारी समस्त ग्राम सभाओं को कोई आपत्ति नही है क्योकि यह जन हित का कार्य है इससे समस्त क्षेत्र का शिक्षा के साथ विकास भी होगा।

अतः समस्त जनप्रतिनिधी सामूहिक रुप से अनुरोध करते है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु शिघ्र वन भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाय।

1- सदस्य जि0पं0 दिचली

2-समस्त क्षेत्र पं0, ग्राम प्रधान

अध्यक्ष
अध्यापक एवं अभिभावक संघ
रा0इ0का0 जोगथ, उत्तरकाशी

जोगेन्द्र सिंह रावत
सदस्य जिला पंचायत
दिचली चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रधानाचार्य
के0 एस0 डी0 सी0 कुमाई
रा0 इ0 का0 जोगथ
उत्तरकाशी

प्रधान
ग्राम पंचायत-धनारी
क्षेत्र पंचायत - चिन्यालीसौड़
जिला उत्तरकाशी

प्रधान
ग्राम पंचायत सर्प
क्षेत्र पंचायत- चिन्यालीसौड़
जिला उत्तरकाशी

सदस्य
क्षेत्र पंचायत जगड़गाँव बनकोट
वि0ख0 चिन्याली सौड़

Annexure-1

FORM-I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collecor Uttarkashi.

Name of Project:- **LAND TRANSFER TO K.S.D.C. KUMAIN G.I.C. JOGATH FOR SCHOOL BUILDING CONSTRUCTION.**

No......................

Dated. 14-04-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and forests (FoEF) Government of india's letter No 11-9/98-FC (pt-) dated 3 rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th february 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.90** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **K.S.D.C. KUMAIN G.I.C. JOGATH** in Uttarkashi District falls within jurisdiction of **JOGATH village in CHINIYALISOUR tehsils**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.90** hectares of the forest area proposed for diversion a copy of records of all consultations and meeting of the forest Rights committee (s) Gram sabha (s) Sub-Division Level committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Governments as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal groups and preagricultural communities.

Encl: As above

(Indudhar Baudai)

District Magistrate,

Uttarkashi.

जिलाधिकारी

उत्तरकाशी

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– के० एस० डी० सी० कुमाई रा०इ० का० जोगत के भवन निर्माण हेतु 0.90 हे० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – जोगत
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला– उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु (0.90 हे0 आरक्षित वन भूमि, —×— हे0 सिविल सोयम भूमि × हे0, वन पंचायत भूमि —×— हे0) अर्थात कुल 0.90 हे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोगत द्वारा दिनांक 15.3.15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य ~~है अथवा~~ नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जोगत के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.90 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत जोगत
वि0ख0 चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रधान ग्राम पंचायत जोगत (चिन्या...)
ह0/–
प्रधान
वि0ख0 चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

नोट :– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 15-03-2015.... को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत.... जोगथ ....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	लक्ष्मण सिंह कैन्तुरा	लक्ष्मण सिंह
2	राम सिंह कैन्तुरा	[illegible]
3	भरत	भरत
4	राम सिंह	[illegible]
5	बचन सिंह	[illegible]
6	रघु दास	[illegible]
7	भीम सिंह	
8	जगत सिंह	जगत सिंह
9	प्रेमसिंह	Prem Singh
10	पृथ्वी सिंह	[illegible]
11	खुशालसिंह	खुशालसिंह
12	चन्द्रसिंह	चन्द्रसिंह
13	सुन्दरसिंह	सुन्दरसिंह
14	किशन सिंह	[illegible]
15	कुन्दन लाल	कुन्दनलाल
16	बुद्धि लाल	बुद्धिलाल
17	प्रतापसिंह	प्रतापसिंह
18	रूपलाल	रूपलाल
19	कुंवरसिंह	कुंवर सिंह
20	नारायण	नारायण
21	अवतारसिंह	अवतारसिंह
22	अजय सिंह	अजय सिंह
23	लखवा	लखवा
24	[illegible] सिंह	[illegible] सिंह
25	विजेन्द्रसिंह	विजेन्द्रसिंह
26	बलवीर	बलवीर
27	मोहन सिंह	[illegible]
28	मोहन लाल	[illegible]
29	शिवदत्त	शिवदत्त
30	बलवीर लाल	बलवीर लाल
31	प्रदीप सिंह	प्रदीप
32	नरेश लाल	नरेश लाल
33	गंगरी देवी	गंगरी देवी

18D/1.

34	राकेश लाल	राकेश लाल
35	आनन्द सिंह	आनन्द सिंह
36	Sunil	Sunil
37	किशन सिंह	[illegible]
38	छोटी लाल	छोटी लाल
39	[illegible]	
40		[illegible]
41	कमल सिंह	[illegible]
42	देव सिंह	[illegible]
43	विक्रम सिंह	विक्रम
44	सुखदेव सिंह	सुखदेव
45	भगवान सिंह	भगवान
46	राजेन्द्र	[illegible]
47	मदन सिंह	[illegible]
48	राजेश सिंह रावत	[illegible]
49	कुन्दन सिंह रावत	कुन्दन सिंह
50	अतर सिंह	अतर सिंह
51	विनोद	विनोद सिंह
52	राहुल	राहुल
53	रोहित	रोहित
54	रामपाल	रामपाल
55	रघुबीर	रघुवीर
56	बिजेन्द्र सिंह	बिजेन्द्र सिंह
57	बिन्द्रा देवी	बिन्द्रा देवी
58	शान्ता देवी	शान्ता
59	आशा देवी	आशा
60	पुष्पा	पुष्पा

30/-

प्रधान ग्राम पंचायत जोगत [illegible]
ह0 सीता
दि0
विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– के० एस०डी०सी० कुमाई रा० इ० का० जोगथ, के भवन निर्माण हेतु 0.90 है० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा, उत्तरकाशी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़

उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.90 है० आरक्षित वन भूमि ———— (0.90 है0 आरक्षित वन भूमि, X है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि X....है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.90 है0 वन भूमि) का शिक्षा विभाग ——प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चिन्यालीसौड़) की दिनांक 31-12-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विजयनाथ शुक्ला, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विजयनाथ शुक्ला उपजिलाधिकारी — डुण्डा ———— अध्यक्ष

2– श्री आर० वी० सिंह ——उप प्रभागीय वनाधिकारी—— [illegible] ———— सदस्य

3– श्री संजय सिं० [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी———— सदस्य/सचिव

4– श्री के० के० पंत ——बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड़ (उ०का०) —— सदस्य

5– श्री विजेन्द्र सिंह रावत (ब्लाक प्रमुख) बी.डी.सी. क्षेत्र चिन्यालीसौड़ (सदस्य)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

————————————————————————

———— उपरोक्त प्रस्तावित ——परियोजना हेतु 0.90 है0 वन भूमि को

————————————————————————

———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चिन्यालीसौड़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु 0.90 हे0 वन भूमि (प्रस्तावित) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चिन्यालीसौड़
जनपद उत्तरकाशी

रियोजना का नामः– के0एस0डी0सी0कुनांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित वन भूमि की लम्बाई.....180.......मीटर, चौड़ाई.......50............मीटर कुल.....9000..........वर्ग मीटर अर्थात ....0.90..........है0 है।

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः– के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु ...एक ही...... समरेखणों पर विचार किया गया। एवं समरेखण संख्या.....एक को........ उचित पाया गया जो कि प्रस्तावित है।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः— के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/—
(प्रयोक्ता एजेन्सी)
Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी

R.O
वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय इन्टर कालेज,
जोगथ, तहसील चिन्यालीसौड
उत्तरकाशी।

संख्याः 28 /जि0टा0फो0–उ0(भवन)/2014–15 दिनांकः 21 मई, 2014

विषयः जनपद उत्तरकाशी तहसील चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेज, जोगथ के नये भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूखण्ड की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विषयक प्रकरण पर राजकीय इन्टर कालेज, जोगथ के नये भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूखण्ड की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(दीपेन्द्र सिंह चन्द)
सहायक भूवैज्ञानिक

संख्याः 28 /जि0टा0फो0–उ0(भवन)/2014–15 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।

(दीपेन्द्र सिंह चन्द)
सहायक भूवैज्ञानिक

P.C. Attested

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.I.C Jogath
Uttarkashi

आख्या संख्या: 28/जि0–उ0का0(भवन)/2014–15

जनपद उत्तरकाशी तहसील चिन्यालीसौंड के अन्तर्गत राजकीय इन्टर कालेज, जोगथ के नये भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूखण्ड की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या:

उपरोक्त सन्दर्भित राजकीय इन्टर कालेज जोगथ मे नये भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण कार्य दिनांक 02.12.2013 को श्री दिनेश सिंह नाथ, रा0 उपनिरीक्षक, श्री रोशनलाल, प्रधानाचार्य, श्री आलम सिंह रावत, समाजसेवी एंव अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति एवं सहयोग से सम्पन्न किया गया। निदेशक महोदय के मौखिक निर्देश पर जनपद कार्यालयाध्यक्ष मुख्यालय देहरादून से उपलब्ध कराये गये उत्तरकाशी में भूवैज्ञानिकीय सहयोगी, श्री रवि नेगी, के माध्यम से एकत्रित भूगर्भीय आंकडों के आधार पर स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

पहुँच मार्ग एंव टोपोग्राफिक स्थिति:–

राजकीय इन्टर कालेज जोगथ मे नये भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल, तहसील चिन्यालीसौंड से धरासू बैंड होते हुए भागीरथी नदी को पार करने के उपरान्त धरासू–जोगथ मोटर मार्ग द्वारा धरासु बैंड से लगभग 36 किमी0 की दूरी पर स्थित जोगथ ग्राम तक तत्पश्चात ग्राम से उत्तरपश्चिम अपस्लोप पहाडी पर जाने वाली पैदल मार्ग द्वारा लगभग 300 मी0 की दूरी पर उत्तर–पूरब दिशा मे फैले पहाड़ी के सामान्य ढलान पर स्थित भूभाग है। प्रस्तवित भूभाग सामान्य प्रवणता का पहाडी के रिज् भाग का स्थल है जिसके तीन ओर ढलान व स्थित खाली बंजर भू भाग है जहां पहाडी ढलान पर चीड के वृक्ष अवस्थित है, प्रस्तावित भू भाग के अपस्लोप ढलान पर पुराने राजकीय विघालय परिसर की इमारत है तथा इसके अपस्लोप ढलान पर चीड का धना जंगल है जहां ढलान की प्रवणता $25^{0}-30^{0}$ दक्षिण पश्चिम की ओर तथा डाऊन स्लोप ढलान की प्रवणता $15^{0}-20^{0}$ दक्षिण–पूरब की ओर है।

स्थल के उत्तर में एक छोटा बरसाती नाला पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है। स्थल के पूरब मे अपस्लोप पहाड़ी ढलान दक्षिण में डाऊनस्लोप ढलान पर धरासू–जोगथ मोटरमार्ग तथा पश्चिम मे सामान्य डाऊनस्लोप ढलान स्थित है, जहां प्रस्तावित स्थल की भौगोलिक स्थिती उत्तर 30^{0} 32'07.0" एव पूरब 78^{0} 25'08.0" (±12) तथा समुद्र तल से ऊंचाई 1931 (±2) है।

प्रस्तावित भूभाग वन विभाग की भूमि है जिस का हस्तानान्तरण स्कूल प्रशासन को किया जाना प्रस्तावित है जिसका कुछ प्रस्तावित क्षेत्रफल लगभग 0.90 है0 है।

प्रश्नगत क्षेत्र का भूगर्भीय निरीक्षण:–

प्रस्तावित स्थल की भू–स्तह व पहाडी ढलानो का निर्माण दक्षिण फेसिंग पहाडी ढलानो पर पूर्व से आये भूस्खलन से जनित मलबे के जमाव से हुआ है जहॉ प्रस्तावित स्थल के समीप पहाडी ढलानों की प्रवणता लगभग 25^{0} से 30^{0} दक्षिण की ओर है। ग्राम व विधालय परिसर की भू–सतह पर स्वस्थाने चट्टाने

कतिपय स्थलों पर ही स्पष्ट दृष्टिगत हो रही है तथा स्वस्थाने चट्टाने धरासु–जोगथ मोटर मार्ग पर स्पष्ट दृष्टिगत हो रही है।

भूगर्भीय दृष्टिकोण से प्रश्नगत स्थल के समीप अवस्थित स्वस्थाने चट्टानों को लघु हिमालय पर्वत श्रृख्लाओं मे जौनसार समूह के नागथाट फारमेसन (के0एस0वल्दिया, 1980) की स्वस्थाने चट्टानों के समकक्ष वर्गीकृत किया गया है। जहां स्थनीय निरीक्षण मे ग्रे, मटमैले व हल्के मटमैले रंग की महीन गठनयुक्त, अत्यधिक कठोर क्षमतायुक्त क्वार्टजाइट व हल्के हरे रंग की महीन गठनयुक्त, दुर्बल प्रकृति की अल्ट्राबेसिक स्वस्थाने चट्टाने दृष्टिगोचर हो रही हैं। प्रश्नगत स्थल पर अवस्थित स्वस्थाने चट्टानों का प्रसार उत्तर–पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है यहां इन चट्टानो का नमन लगभग 30° पूरब की ओर अवलोकित किया गया है।

प्रश्नगत स्थल पर महीन कणयुक्त (आर्जिलेशियस) भूरे, ग्रे व मटमैले रंग की भुरभुरी व अभ्रक खनिज कणों युक्त मृदा की 2.0 से 2.5 मी0 मोटी परत विद्यमान है, जहां मृदा मे कैल्केरियस–क्वार्टजाइट, व अल्ट्राबेसिक चट्टानो के कोणीय व समकोणीय (रोमबिक) पेब्लस, कॉब्लस (0.5सेमी0–3सेमी0) असंगठित व मिश्रित अवस्था में दृष्टिगत हो रहे हैं। प्रभावित भूभाग की भूस्तह पर अवस्थित मृदा पारगम्य व सरन्ध्र प्रकृति की प्रतीत हो रही है।

राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत स्थल पर कालेज के अन्य भवनो का निर्माण किया जाना है प्रश्नगत स्थल कालेज के डाउनस्लोप मे स्थित खाली बंजर भू भाग है, प्रधानाचार्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि स्थल डाउनस्लोप ढलान पर निर्मित ग्राम मन्दिर तक का भाग है जहा स्थल के ढलानों पर व मन्दिर के समीप के भू भागों पर चीड का जगल अवस्थित है। प्रश्नगत भू भाग की ~~भू स्तह पर अवस्थित मृदा संगठित व जल ग्राही प्रतीत हो रही है जहा स्थल के उत्तर भू~~ भाग से एक बरसाती नाला डॉउनस्लोप ढलान की ओर प्रवाहित हो रहा है। वर्तमान भूगर्भीय निरीक्षण के समय प्रश्नगत के समीप किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक जल श्रोत एवं भूजल श्रोत अवलोकित नही किया गया है परन्तु वर्षाकाल मे भूजल रिसाव की संभावना प्रतीत हो रही है।

संरचनात्मक भूगर्भीय दृष्टिकोण से प्रभावित स्थल के समीप किसी प्रकार का भ्रंश व वलन अवलोकित नहीं किया गया है परन्तु अवस्थित चट्टानों की नति दिशा व पहाडी ढलान की दिशा के प्रतिकूल ढलान की सुरक्षा की दृष्टि के स्पष्ट संकेत दे रही है।

उपरोक्त वर्णित भूगर्भीय स्थिति के आधार पर निम्नलिखित सुझावों एवं शर्तों को सुरक्षात्मक उपाय अपनाये जाने अपरिहार्य होंगे :–

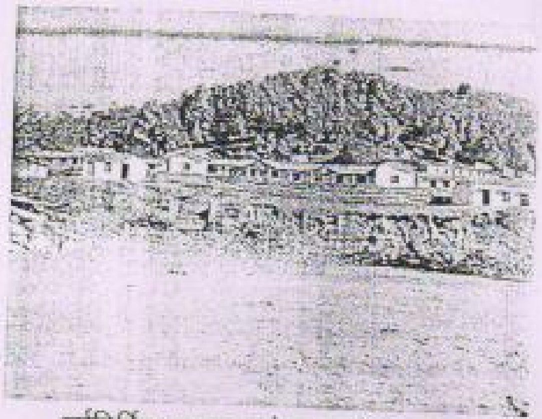

पूर्वनिर्मित इण्टर कालेज भवनों का दृश्य

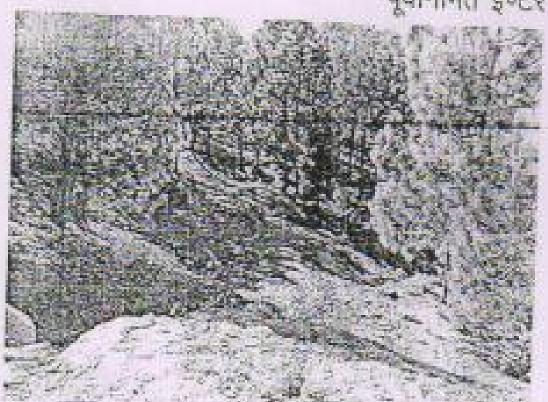

चीड़ वृक्षों से आच्छादित ढलानयुक्त भूभाग

सुझाव एवं शर्तें:-

1. स्थल के दक्षिण डाऊन स्लोप ढलान पर लगभग 50 मी0 दूरी को छोड़कर उचित सामान्य ढलानो के सोपानों को विकसित किये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जाना होगा।

2. प्रस्तावित स्थल में अपहिल साईड से जल प्रवाह को दृष्टिगत डॉउनस्लोप ढलानों पर स्थल पर वर्षाकाल के दौरान आने वाले जल के प्रवाह को नियन्त्रित किये जाने का प्रबन्ध किया जाना होगा ताकि जिन सोपानों को मृदा कटाव *(soil erosion)* से बचाया जा सकें। जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि सतहीय एवं अन्तर्सतहीय *(surface and sub-surface)* जल प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना अतिआवश्यक होगा।

   i. कैचमैन्ट वॉटर को एवकी तथा अपहिल से आगणित जलमात्रा के सापेक्ष वर्षा जल व प्रयुक्त जल की सुरक्षित निकासी हेतु उच्च भाग व ग्राम क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकतम विमाओं की पक्की रैखिक नालियों का निर्माण किया जाय व एकत्रित जल का

सुरक्षित निस्तारण पक्की अधिकतम ढिनाओं वाली नालियां द्वारा स्थल से दूर किया जाय।

ii. नालियों के उचित प्रकार से रखरखाव व निरन्तर अवरोध रहित जल प्रवाह सुनिश्चित जाना अत्यावश्यक होगा ताकि सतही जल प्रवाह एवं अधोभूमि जल रिसाव से भवन की नींव प्रभावित न हों।

3. ग्राम की भूसतह पर स्थित मृदा के अत्यधिक सरन्द्र होने के कारण भू सतह पर अवस्थित मृदा का भू-अभियांत्रिक लोड बेयरिंग टेस्ट कराने के उपरान्त प्राप्त आंकड़ो के समाकलनो व भूकंम्प रोधी तकनीकयुक्त भूकम्पीय गुणांको के आधार पर ही प्रस्तावित भवनों या बिलडिंग के डिजाइन को बनाना होगा।

4. प्रस्तावित भू भाग मे आने वाले वन क्षेत्र मे चीड़ वृक्षों से आच्छादित है, अतः वन अधिनियम 1980 के अनुसार प्रस्तावित निर्माण कार्य से पूर्व सम्बंधित विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाना आवश्यक होगा।

5. सम्पूर्ण क्षेत्र मे मृदा को सरक्षित कराने हेतु भूमि संरक्षण विभाग द्वारा मृदा की प्रकृति के अनुरूप मृदा को संगठित रखने व वाले स्थानीय घासों/पौधो व झाड़ियों का रोपण किया जाना उचित होगा।

निष्कर्षः—

प्रथमदृष्टया, वर्तमान में, उपरोक्त सुरक्षात्मक सुझावों एवं शर्तों का क्रियान्वयन के अनुपालन की दशा में प्रस्तावित स्थल सतही अवलोकन मे भूमि हस्तान्तरण हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है।

प्रस्तावित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का मानचित्र/ले आउट प्लान तैयार किये जाने के उपरान्त, परन्तु निर्माण कार्य से पूर्व सिविल अभियन्ताओं द्वारा भू-अभियांत्रिकीय वैज्ञानिकों से *detailed geotechnical site characterization* तकनीकी सहयोग के अनुसार कार्य कराया जाना भी भू-स्थायीत्व व उपयुक्तता हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक होगा।

P.C. Attested

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

(दीपेन्द्र सिंह चन्द)
सहायक भूवैज्ञानिक
Mob: 8192802331
Email id: geodn-dam-uk@nic.in

परियोजना का नाम:— के0एस0डी0सी0कुमाई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

भू—वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू—वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तों का निर्माण कार्य के दौरान..याचक विभाग.......द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

ह0 /
प्रयोक्ता एजेन्सी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tacking land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ याचक विभाग को मान्य हैं।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.I.C Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः– के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख–रखाव के दौरान **प्रयोक्ता एजेन्सी**... ..द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.I.C Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:– के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.90.... है0 वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नही है।

ह0/ Principal K.S.D.C KUMAI G.I.C. Jogath Uttarkashi	ह0/ वन क्षेत्राधिकारी धरासू वन रेंज उत्तरकाशी वन प्रभाग	ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी

Ro मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:– के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, स्मारक, मन्दिर, मस्जिद, श्मशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है तथा उक्त वन भूमि सार्वजनिक उपयोग की नही है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि अन्य प्रयोजन हेतु किसी को आवंटित नही की गई है।

ह0/– योक्ता ...

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

ह0/–
जिलाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

रा0 उ0 नि0 जोगथ

R0

तहसीलदार
चिन्यालीसौड़

उप जिलाधिकारी
डुण्डा
जिला उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:— के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ परिवारों/जनसंख्या को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम	परिवार	जनसंख्या
क्यारी	62	331
सर्प	61	295
जगडगांव	109	619
दिचली	134	694
बनकोट	107	526
भेंगयाल गांव	67	334
पुजार गांव	49	183
कल्याणडडी	70	394
गोरुण	40	200
बगोडी	150	832
गडवाल गाड	181	1172
कोट	42	186
तल्ला जोगथ	150	820
विचला जोगथ	79	388
मल्ला जोगथ	184	972
खालसी	338	1731
बरोल	67	343
विजाभागी	12	70
किमसेत(टि0ग0)	24	100

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः– के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

ह0/–
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रयोक्ता एजेन्सी

रियोजना का नाम:– के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेंएन0पी0वी0 की देय धनराशि ..657000×0.90 हेक्टे0 591300.याचक विभाग...द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी ...**याचक विभाग**... द्वारा जमा करा दी जायेगी।

Ro

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

वन प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम:— के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नही है।

ह0/

जिलाधिकारी

ह0/—

प्रभागीय वनाधिकारी

तहसीलदार
चिन्यालीसौड़

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू रेंज
उत्तरकाशी वन प्रभाग

उप जिलाधि०
डुण्डा
जिला उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रतिहस्ताक्षर
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम : के०एस०डी०सी० कुमांई रा०इ०का० जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे को चयनित डम्पिंग स्थलों में डाला जायेगा मलवा वन भूमि पर अनियन्त्रित नही डाला जायेगा, जिससे किसी प्रकार से वन सम्पदा को क्षति नही हो सके।

ह०/–
मुख्य शिक्षा अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी
उत्तरकाशी

परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवे को चयनित डम्पिंग स्थल के निर्माण हेतु कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून के पत्रांक : 2865/1जी–3379(उ०का०) दिनांक देहरादून 09 मई 2011 के द्वारा बिन्दु संख्या 06 एवं 08 के निस्तारण हेतु, वन क्षेत्राधिकारी धरासू द्वारा उक्त परियोजना हेतु आंकलित धनराशि 4,62,600.00 (चार लाख बासठ हजार छः सो रूपये मात्र) को इस कार्यालय के पत्रांक/नियोजन/8065–72 /5ख (1) जिलायोजना/2013–14 दिनांक 09.10.2013 , एवं चालान सं० 41 दिनांक 06 दिसम्बर 2013 के द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी (वन विभाग) के पक्ष में जमा की गयी है। जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के पत्रांक सं०/64/जिला योजना बजट/2013–14 दिनांक 29 अगस्त 2013 के द्वारा प्राप्त है। **(उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्न)**

ह०/–
मुख्य शिक्षा अधिकारी
प्रयोक्ता एजेन्सी
उत्तरकाशी

ह०/–
प्रभागीय वनाधिकारी

कोषागार प्रपत्र सं0 209 – (संशोधित)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड– 5 भाग– 2

प्रपत्र सं0 – 43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/ बैंक का नाम व शाखा भारतीय स्टेट बैंक उत्तरकाशी

1. जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही उसका नाम प्रभागीय वनाधिकारी

2. पता उत्तरकाशी

3. पंजीकरण संख्या/ पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) [illegible]

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण राजकीय इण्टर कालेज जोग्याड़ा के निर्माण हेतु उत्पन्न भवनों के डामिज़ासा .... [illegible] ... प्रभागीय .... वानगाडी (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

5. चालान की सकल (gross) राशि 4,62,600 (चार लाख बासठ हजार छः सौ)

6. चालान की निबल (net) राशि 4,62,600 (चार लाख बासठ हजार छः सौ)

7. लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/ लेखाशीर्षक की मोहर 8782-00-103-01-010 डिपॉजिट कार्य हेतु प्राप्तियां उत्तरकाशी वन प्रभाग

8. लेखा– शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उपमुख्य शीर्षक	लघु– शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
8782	00	10	30	10	10

धनराशि (शब्दों में) (चार लाख बासठ हजार छः सौ)

योग | 4 6 | 2 6 | 0 2 |

प्रभागीय वनाधिकारी

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले उत्तरकाशी वन प्रभाग

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित उत्तरकाशी

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक:-2865 /1जी-3379 (उ0का0) दिनांक:देहरादून 9 मई, 2011

सेवा में,

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
उत्तरकाशी।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय– जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, जोगथ के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती की पत्र संख्या 2437/12–1(2), दिनांक 06–04–2011

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराया गया विषयाँकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का इस कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त प्रस्तावों में निम्नलिखित कमियाँ पायी गई हैं :–

1. प्रारूप का भाग–1 स्पष्ट रूप से नहीं भरा गया है।
2. प्रस्ताव में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या–9 से सम्बन्धित टिप्पणी में प्रस्तावित कार्यस्थल अतिक्रमिक भूमि दिखाया गया है।
3. क्या प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पूर्व में अतिक्रमण किया गया है तो यह उल्लंघन का प्रकरण है। यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में कोई निर्माण कार्य किया गया है तो कार्य अवधि के दौरान दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है, स्पष्ट करें।
4. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार आरक्षित वन भूमि में भवन निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी जा रही है।
5. मानचित्र में अक्षांश व देशान्तर अंकित नहीं किया गया है।
6. मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में स्थल विशिष्टि नहीं लिखा गया है, स्पष्ट करें।
8. प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना, जिस पर प्रयोक्ता एजेन्सी व प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर हो, उसके पुनर्वास हेतु वनीकरण योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।
9. प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान मदवार विवरण सहित संलग्न किया जाय।
10. परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई स्पष्ट नहीं दर्शायी गयी है।
11. प्रस्ताव में ईको–क्लास का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।
12. 100 वृक्षों की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना एवं पंचवर्षीय योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव में संलग्न करें।
13. विषय सूची के अनुसार प्रपत्र संलग्न नहीं किये गये हैं।
14. भू–वैज्ञानिक की विस्तृत आख्या प्रस्ताव में संलग्न नहीं है, संलग्न की जाय।

प्रयोक्ता एजेन्सी अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव वापस प्राप्त कर लेवें एवं उपरोक्त कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

राजकीय इण्टर कालेज जोगत के निर्माण से उत्पादित मलबें के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड का निर्माण करना।

धरासू वन राजि उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी   वर्षः– 2011 – 2012

H - 1894'
N- 30^0 32 - 08.7
E- 78^0 25- 07.62

क्र0सं	कार्य का विवरण	संख्या	नपत लं0	चौ0	ऊँ0	मात्रा	दर	धनराशि
1	प्रतिधारक दीवाल (R/W)निर्माण हेतु बुनियाद खुदान करना	8-	10.00	2.00	0.50	80.00 cum @	36.00	2880.00
2	Retaining wall में R.R.stone masonary करना प्रथम तल	8	10.00	2.00	1.50	240.00		
	द्वितीय तल	8	10.00	1.50	1.50	180.00		
					Total	420.00 cum @	799.00	335580.00
3	R/W में G.I. Wire तार बांधने हेतु तार को काटना फैलाना व बान्धना							
	प्रथम तल	8	10.00	8.00	--	640.00		
	side	10 × 2	--	2.00	1.50	60.00		
	द्वितीय तल	8	10.00	6.00	--	480.00		
	side	10 × 2	--	1.50	1.50	45.00		
					Total	1225.00 sqm		
	5 प्रतिशत छिजन					26.50		
					Total	1251.50 sqm @	380.00	4755.70
4	G.I. Wire की बुनाई (4"×4") में करना	1251.50 sqm @ 1.20 kg/Mt = 1501.8 kg or				1.50 mt @	7912.00	11868.00
5	G.I. Wire की कीमत	--	--	--	--	15.01 qtl @	6500.00	97584.50
6	G.I. Wire का ढुलान ट्रक व श्रमिकों के द्वारा	--	--	--	--	-- --	L.S.	10000.00
							Total	462668.20
							Or say	462600.00

फोटो प्रति सत्यापित
वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

(पपेन्द्र सिंह रौतेला)
वन दरोगा धरासू

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

:मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके यायक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वछन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूतिम का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सा0नि0वि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्व0 क्षेत्र पौडी को सम्बोधित पत्र सख्या 608 सी0 दिनांक 10–2–82 में निहित आदेशों का पालन भी सा0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा कि अश्वमार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पक्का करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सडक का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग उ0प्र0 वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ो पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। ... उन्हीं को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो

न्यूनतम पेड़ो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य है।

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नामः— के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

ह0 / —
प्रयोक्ता एजेन्सी

परियोजना का नामः— के0एस0डी0सी0कुमांई रा0इ0का0 जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे0 वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

प्रस्तावित परियोजना का ले आऊट प्लान एवं मदवार विवरण

संलग्न है।

मुख्य ... अधिकारी
उत्तरकाशी

प्रस्तावित परियोजना का मदवार विवरण एवं ले-आउट प्लान

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तरकाशी।

सेवामें,

कार्यक्रम निदेशक
पर्यावरण शिक्षण केन्द्र,
नोर्थ ईस्ट रिजन लखनऊ।

पत्रांक/ 12618-21/नियोजन/आपदा प्रबन्धन/5ख19/2013–14/दिनांक 28.03.2014।

विषय : **दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त रा0इ0का0 जोगथ में मुख्य भवन निर्माण एवं रा0 इ0 का0 मनेरी में सुरक्षा दीवार एवं प्रयोगशाला कक्ष निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त रा0इ0का0 जोगथ में मुख्य भवन निर्माण एवं रा0इ0का0 मनेरी में सुरक्षा दीवार एवं प्रयोगशाला निर्माण हेतु मांग निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित।

रा0इ0का जोगथ :– भवन निर्माण ।

क्र0सं0	आवश्यकताओं का विवरण	संख्या
1	कक्षा–कक्ष	05
2	प्रयोगशाल कक्षा (भौ0वि0, रसा0वि0, जी0वि0, कम्प्यूटर कक्ष, भूगोल)	05
3	प्रधानाचार्य कक्ष	1
4	कार्यालय कक्ष	1
5	भण्डार कक्ष	1
6	स्टाफ कक्ष	1
7	क्रीडा कक्ष	1
8	एन0सी0सी0 एवं एन0एस0एस0 कक्ष	1
9	वाचनालय कक्ष	1
10	शौचालय (बालक2, बालिका2)	4
11	सभा कक्ष (सभागार)	1

रा0इ0क0 जोगथ में पुराने भवन का ध्वस्तीकरण करने हेतु लगभग 5 लाख रूपये का व्यय।

रा0इ0का0 मनेरी :–

1. सुरक्षा दीवार निर्माण – 100 मीटर लम्बाई,15 मीटर ऊचाई।
2. प्रयोगशाला कक्षा – 4 कक्ष।

(रघुनाथ लाल आर्य)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तरकाशी।

पृ0सं0/ /नियोजन/आपदा प्रबन्धन/5ख19/2013–14/दिनांक उक्ताकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भटवाडी/चिन्यालीसौड उत्तरकाशी।
2. प्रधानाचार्य रा0इ0क0 जोगथ/मनेरी उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तरकाशी।

P.C. Attested

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.IC Jogath
Uttarkashi

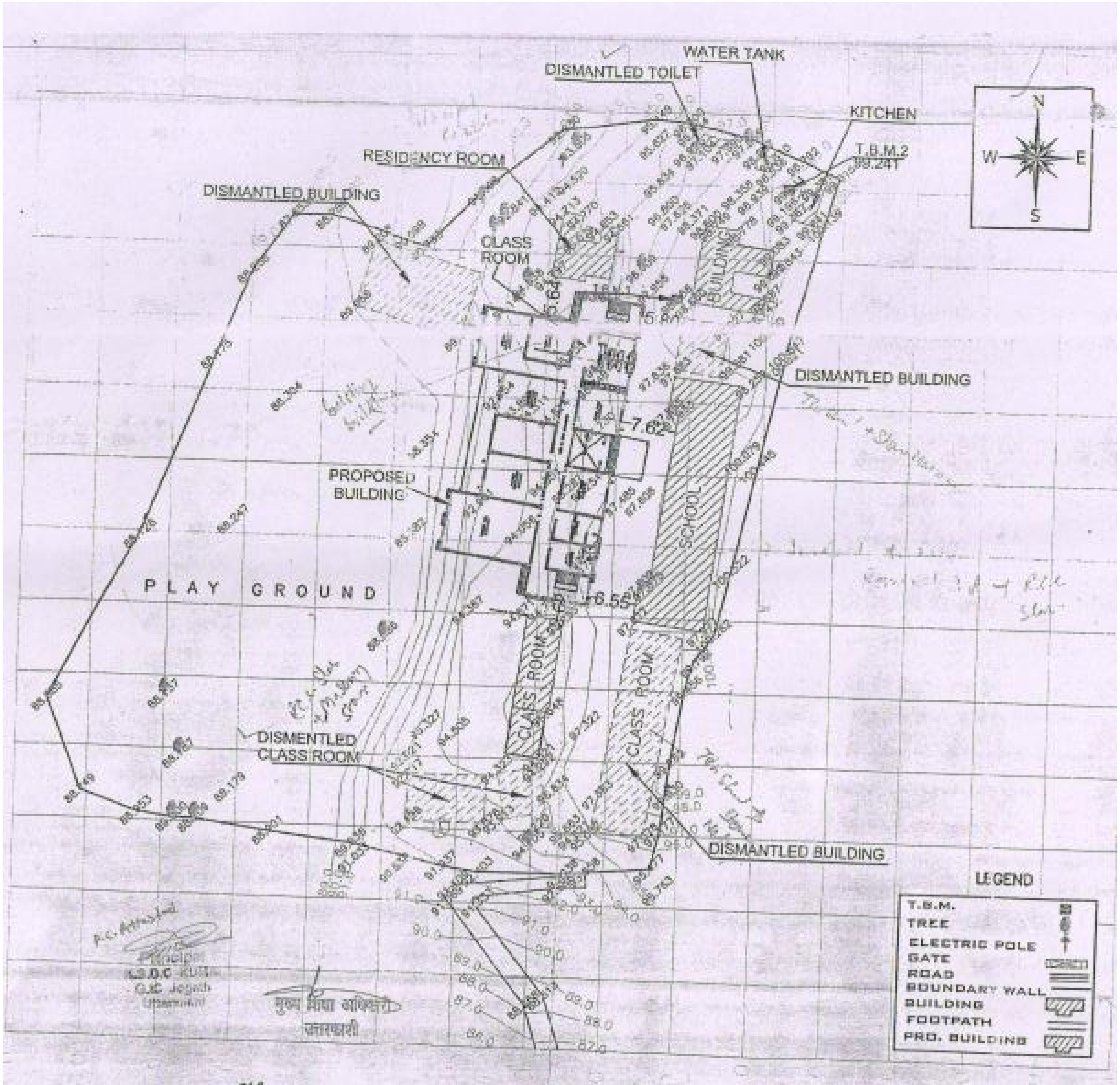

WATER TANK
DISMANTLED TOILET
KITCHEN
T.B.M.2
99.241
RESIDENCY ROOM
DISMANTLED BUILDING
CLASS ROOM
BUILDING
DISMANTLED BUILDING
PROPOSED BUILDING
SCHOOL
PLAY GROUND
CLASS ROOM
CLASS ROOM
DISMENTLED CLASS ROOM
DISMANTLED BUILDING
N
W
E
S
LEGEND
T.B.M.
TREE
ELECTRIC POLE
GATE
ROAD
BOUNDARY WALL
BUILDING
FOOTPATH
PRO. BUILDING
Principal
G.I.C Jageth
मुख्य शिक्षा अधिकारी

368

परियोजना का नाम :- के०एस०डी०सी०कुमाई रा०इ०का० जोगथ के भवन निर्माण हेतु 0.90 हेक्टे० वन भूमि का शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरण

परियोजना से सम्बन्धित अन्य सूचनायें

परियोजना से सम्बन्धित सभी सूचनायें चैक लिस्ट के अनुसार संलग्न की गयी है।

प्रधानाचार्य
के० एस० डी० सी० कुमाई
रा० इ० का० जोगथ
उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

निरीक्षण
3-12-14

सेवा में,

तहसीलदार महोदय
चिन्यालीसौड़ -

महोदय, संलग्न पत्र मेमो / वन भूमि स्था०/2014-15 दिनांक 23.12.2014 - प्रधानाचार्य के०एस० डी० सी० गुसाईं रा० इ० का० जोगत का जो श्रीमान जी को - सम्बोधित है, के आदेश के क्रम मे रा० इ० का० जोगत मे जाकर विद्यालय परिसर की सर्वे की गयी है दौरान सर्वे के विद्यालय के प्रधानाचार्य के समक्ष किया गया है, सर्वे मे वन विभाग के स्थाई मुनारा मूल बिन्दु मानकर जिसे O बिन्दु से प्रदर्शित किया गया है, विद्यालय परिसर वाली भूमि मे नाप ली गयी जिससे आकृति A B C व A E D, E F D G, B C H F, व H F i एवं F G L J व F J i K बनी है, सभी मुनारों की नाप संलग्न फील्ड मे दर्शाया गया है, वर्णित के०एस० डी० सी० गुसाईं राजकीय इण्टर कालेज की भूमि वन विभाग के स्वामित्व की है, जो अभी तक विद्यालय के नाम स्थानान्तरित नही हुई है, उक्त वन भूमि को विद्यालय के नाम स्थानान्तरित किये जाने बावत विद्यालय से पत्राचार किया है, एवं विद्यालय के कब्जे काश्त वाली भूमि विद्यालय (रा० इ० का० जोगत) के नाम स्थानान्तरित होनी अति आवश्यक है। वर्णित भूमि का फील्ड बुक एवं नक्शा संलग्न रिपोर्ट के है। वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 0.906 हे० है।

अतः वांछित रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित सेवा मे

प्रेषित,

रा० नि० गुनाली
27/12/014

मुख्य, श्रीमान जी
सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु
सम्प्रेषित

3/1

नक्शा: के०एच०डी०पी० टकनौर रा० इ० का० ...गाम. की कब्जे वाली वन भूमि का.

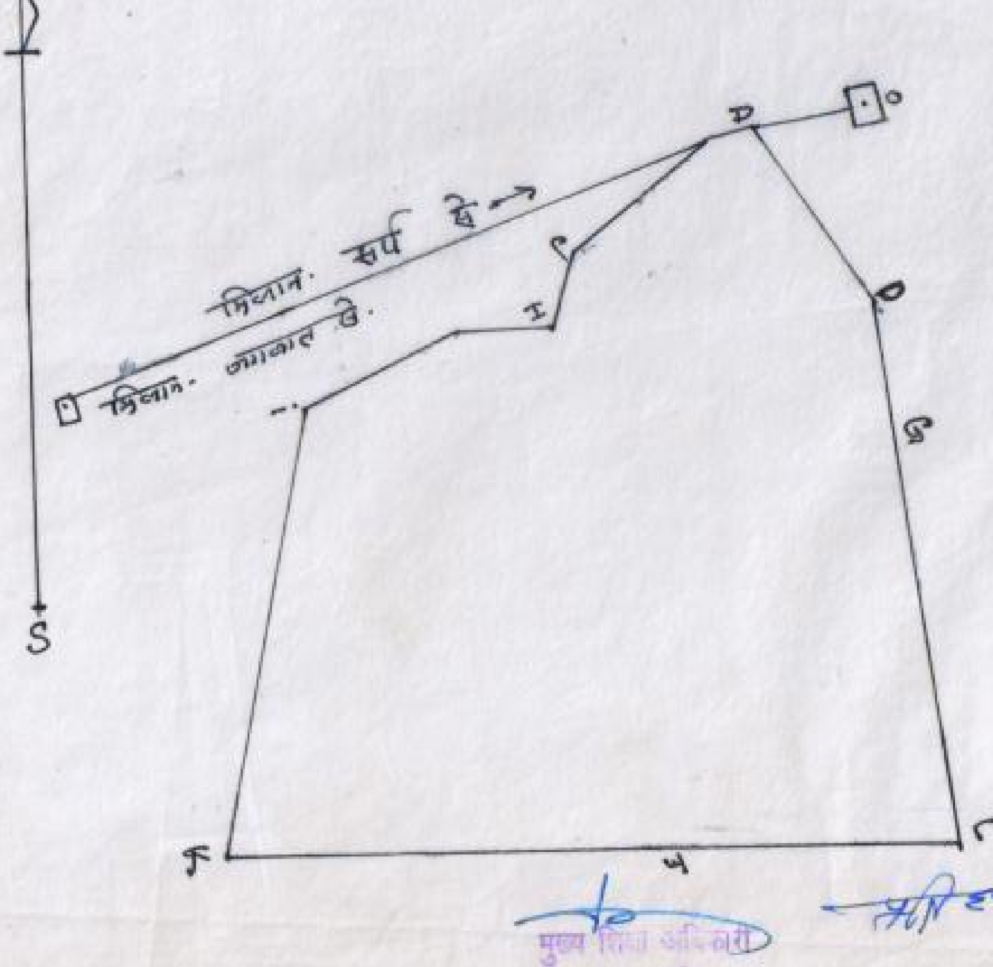

पैमाना · 64" = 1 मील

क्षेत्रफल
0.906 हे०

तैयार कर्ता
सर्वेक्षक 27/11/2014
रा०नि० पुजारगाँव

प्रति हस्ताक्षर

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

30/1/14 तहसीलदार
भटवाड़ी जोड़ उत्तरकाशी

<u>प्रमाण – पत्र</u>

कार्य का नामः– जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत **के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई रा0 इ0 कालेज जोगथ** के भवन निर्माण हेतु 0.90 हैक्टर वन भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तानान्तरण–

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि को शिक्षा विभाग के नाम हस्तानान्तरण **के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई रा0 इ0 कालेज जोगथ** के भवन निर्माण हेतु किया जाना जो दिचली कक्ष संख्या ०3 में प्रस्तावित है, प्रस्तावित वन भूमि इको क्लास 5 के अर्न्तगत आता है।

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

Principal
K.S.D.C KUMAI
G.I.C Jogath
Uttarkashi

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी

<u>प्रमाण – पत्र</u>

कार्य का नामः– जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत **के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई रा0 इ0 कालेज जोगथ** के भवन निर्माण हेतु 0.90 हैक्टर वन भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तानान्तरण---

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि को शिक्षा विभाग के नाम हस्तानान्तरण **के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई रा0 इ0 कालेज जोगथ** के भवन निर्माण हेतु किया जाना है इस भूमि पर किसी विशेष के आवासीय भवन का निर्माण नही किया जायेगा...

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू वन राजि
उत्तरकाशी वन प्रभाग

प्रधानाचार्य
के0 एस0 डी0 सी0 कुमांई
रा0 इ0 का0 जोगथ
उत्तरकाशी

मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तरकाशी